परिपत्र संख्या– 18 /गो0(1)52/17/2019 दिनांक–25 जुलाई, 2019

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवम् सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक तथा प्रभारी अधीक्षक (कारापाल) के स्टेशन छोड़ने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर–1024 में यह व्यवस्था है कि " पूरे समय के अधीक्षक महानिरीक्षक की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना स्थान (Station) नहीं छोड़ेंगे।"

यह देखा जा रहा है कि विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक तथा प्रभारी अधीक्षक (कारापाल) द्वारा स्टेशन छोड़ने से पूर्व जैल मैनुअल के प्रस्तर–1024 तथा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन में स्टेशन छोड़ने तथा परिचालन की अनुमति प्राप्त नहीं की जा रही है, यह स्थिति उचित नहीं है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक तथा प्रभारी अधीक्षक (कारापाल) शासकीय कार्य/मा0 न्यायालय के कार्य हेतु स्टेशन छोड़ने से पूर्व अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या–42/गो0(1)/52/2017 दिनांक 11.07.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

Ar 4/7/19

( आनन्द कुमार )
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवम् सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।